तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व [illegible]
16.9.25	S.D.O. [illegible] मय मुहर [illegible] 16/9/25	
16.9.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 24.9.25 को पेश हो।	
24.9.25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.10.25 को पेश की जावे	
	~~पत्रावली पेश हुई [illegible] अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक [illegible] को पेश हो।~~	
16.10.25	पत्रावली पेश हुई S.D.O सा. केम्प मे पधारे है। ~~उभय पक्ष उप~~ अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1.12.25 को पेश हो।।	
1.12.25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29.12.25 को पेश की जावे	
29.12.25	पत्रावली आज पेश हुई [illegible] अब पत्रावली [illegible]सार दिनांक 13.1.26 को पेश की जावे	
13.1.26	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका था। प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पुन: माजिद बहस सुनी गई प्रा. पत्र अ. धा. 212 R.T.A का दस्तावेजी सबूत से सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काम हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रा0पत्र संख्या :– 16/2021

आशाकुमारी पिता स्व. श्री शंभुलाल जाति ब्राम्हण निवासी गुलाना हा.मु. बेगूं तह0बेगूं
प्रार्थीया

बनाम

1. लाडबाई पिता छोगा जाति ब्राम्हण निवासी गुलाना हा.मु.पति रामगोपाल ब्राम्हण निवासी श्रीकण तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. गोपीलाल पिता केशुलाल ब्राम्हण निवासी गुलाना तह0 बेगूं
3. हीरालाल पिता केशुलाल ब्राम्हण निवासी गुलाना तह0 बेगूं
4. मनोहरलाल पिता केशुलाल ब्राम्हण निवासी गुलाना तह0 बेगूं
5. कैलाशचन्द पिता केशुलाल ब्राम्हण निवासी गुलाना तह0 बेगूं
6. शोभालाल पिता केशुलाल ब्राम्हण मृतक के बजाय :–
   6/1– श्रीमति राधादेवी पत्नी स्व. शोभालाल ब्राम्हण निवासी गुलाना तह0 बेगूं
   6/2– मोहित पिता शोभालाल ब्राम्हण निवासी गुलाना तह0 बेगूं
   6/3– मनिष पिता स्व. शोभालाल ब्राम्हण निवासी गुलाना तह0 बेगूं
   6/4– मधु पुत्री स्व. शोभालाल ब्राम्हण निवासी गुलाना तह0 बेगूं
   6/5– दुर्गादेवी पुत्री स्व. शोभालाल ब्राम्हण निवासी गुलाना तह0 बेगूं
   6/6– संतोषदेवी पुत्री स्व. शोभालाल ब्राम्हण निवासी गुलाना तह0 बेगूं
7. सत्यनारायण पिता केशुलाल ब्राम्हण निवासी गुलाना तह0 बेगूं
8. कंचन पति केशुलाल ब्राम्हण मृतक के बजाय
   8/1– श्रीमति बदामबाई पत्नी स्व. रामदत्त दाधीच निवासी बटुक भैरवपाडा गणेश मंदिर के पास पोस्ट बूंदी तहसील व जिला बून्दी राज.
9. गीतादेवी पति कैलाशचन्द्र ब्राम्हण निवासी गुलाना तह0 बेगूं हा.मु.जुनीबेगूं तह0 बेगूं

विपक्षीगण

उपस्थित:– श्री सुरेशचन्द्र टेलर
अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक :–13.01.2026

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि न्यायालय में उक्त शीर्षक का एक वाद पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जिसके निर्णय होने में समय लगेगा इस लिए वाद निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि ग्राम गुलाना पटवार क्षैत्र गोविन्दपुरा की जमाबंदी संवत 2060 से 63 की खतौनी संख्या 40 वर्णित निम्न कृषि आराजीयात स्थित है जो प्रार्थीया की पैत्रिक सम्पत्ति होकर वर्तमान मे प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा है :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
11	0.6240
109	0.4780
150	0.2350
154	0.3150
171	0.5020
247	0.7680
249	0.8330
250	0.7520
373	1.6350
383	0.3080
385	0.0730
386	0.3810
388	0.2750
394	0.0240
396	0.1620

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

[illegible]	0.1540
408	0.2020
409	0.2830
411	0.4130
484	0.0160
665	0.0570
666	0.8170
742 / 364	0.2190
743 / 365	0.2750
744 / 666	1.0120
745 / 409	0.0080
कीता–26 रकबा	10.8220 हैक्टर

यह कि ग्राम गुलाना पटवार क्षेत्र गोविन्दपुरा की जमाबंदी संवत 2028 की खतौनी सं 46 वर्णित आराजी नं0 399, 400, 403, 404 कुल क्षेत्रफल 0.8660 हैक्टर भूमि प्रार्थीया का 1/4 हिसा व विपक्षी सं 1 का 1/4 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 2 से 8 का 1/2 हिस्सा है।

यह कि उक्त कलम सं 1 वर्णित कृषि आराजीयात पैत्रिक सम्पति होकर प्रतिवादी सं 2 से 8 के पिता केशुलाल पिता श्री कालु जी ब्रामहण 1/4 वादीया के दादा श्री छोगा कल्याण पिता गोकल 1/2 तथा सोहनलाल पिता मथुरा 1/4 के नाम दर्ज थी जो सं 2028 की खतौनी संख्या 42 की जमाबंदी से स्पष्ट है। तथा कलम संख्या 2 वर्णित भूमि भी पैत्रिक होकर उसमे विपक्षी संख्या 2 से 8 तक का 1/2 प्रार्थीया का 1/4 व विपक्षी संख्या 1 का 1/4 बनता है जो संलग्न जमाबंदी सं0 2028 से स्पष्ट है।

वादीया का वंशवृक्ष निम्न प्रकार है :–

गोकल
।

छोगा ।
कल्याण (लाऔलाद फोत)

श्रीमतिदेउबाई पत्नी फोत
श्रीमति लाडबाई पुत्री प्रति.1
शंभुलाल पुत्र ।

श्रीमति आशा पुत्री वादीया
श्रीमति प्रेमबाई पत्नी फोत

यह कि उक्त कलम सं. 4 वर्णित वंशवृक्ष के अनुरूप श्री छोगा की मृत्यु के बाद कलम सं. 2 व 3 वर्णित कृषि आराजीयात उनकी पत्नी श्रीमति देउबाई पुत्री श्रीमति लाडबाई विपक्षी सं. 1 व प्रार्थी के पिता के नाम नामान्तरण खुलना चाहिए था किन्तु नामान्तरण केवल श्रीमति देउबाई के नाम खोल दिया गया जो नामान्तरण संख्या 92, 93, 94 से स्पष्ट होकर वादीया के विरूद्ध शुन्य है।

यह कि नामान्तरण संख्या 92, 93, 94 वर्णित आराजीयात के खातेदार श्री छोगा की मृत्यु उपरान्त नामान्तरण केवल श्रीमति देउबाई के नाम खोलने से श्रीमति देउबाई ने सं. 2066 से 2071 खतौनी 41 वर्णितानुसार कुछ कृषि आराजीयात निहित हक का दान विलेख प्रतिवादी सं. 1 के नाम कर दिया एवं कुछ आराजीयात में निहित हक का हकत्याग प्रतिवादी सं. 2 से 8 के पक्ष में कर दिया जिनके नामान्तरण संख्या 747 व 748 है। उक्त दोनो ही विलेख श्रीमति देउबाई द्वारा जो निष्पादित एवं पंजीकृत कराये गये वे दोनो ही वादिया के विरूद्ध अवैध होकर शुन्य दस्तावेज है क्यो कि श्रीमति देउबाई अकेली स्व.श्री छोगा जी की उत्तराधिकारी नहीं थी। वादीया एवं प्रतवादी सं. 1 दोनो ही बराबर हिस्से की उत्तराधिकारी थी। नामान्तरण संख्या 92, 93, 94 तीनो ही नामान्तरण जो हुए वे भी वादिया के विरूद्ध शुन्य दस्तावेज है। इस बात की पुष्टि नामान्तरण संख्या 111 एक सौ ग्यारह से स्पष्ट है तथा इस नामान्तरण से वादीया के वंश वृक्ष की स्पष्ट रूप से पुष्टि है। श्रीमति देउबाई ने जो दस्तावेज दान विलेख व हक त्याग विलेख पंजीकृत कराये गये उनके परिणाम स्वरूप विपक्षी सं. 1 से 8 द्वारा दिनांक 09.09.2020 को गांव में मृतक श्रीमति

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

...के तथा कथित हिस्से की भूमि को विक्रय, दान आदि से हस्तान्तरित कर देने की कह रहे थे तो वादीया ने राजस्व रेकार्ड निकलवा कर देखा तो दिनांक 10.10.2020 को सम्पूर्ण जानकारी मिलने पर व विधि सलाहकारो से विचार विमार्श कर विपक्षीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रार्थीया का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष मे होना सिद्ध है।

यह कि विपक्षीगण 1 से 9 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि विपक्षी स. 1 पंजीकृत दान विलेख व विपक्षी सं. 2 से 8 पंजीकृत अवैध हकत्याग विलेख तथा विपक्षी सं. 6 अवैध विक्रयपत्र के आधार पर इन दस्तावेज मे वर्णित आराजीयात को रहन, दान, विक्रय आदि से किसी को हस्तान्तरित नही करें क्यो कि प्रार्थीया का स्वामित्व व अधिकार दोनो ही इन आराजीयात में निहित है। यदि विपक्षीगण ने उक्त आराजीयात को तथा कथित पंजीकृत दान विलेख व हकत्याग विलेख से सम्बन्धित आराजीयात में प्रार्थीया के निहित हक को स्थानान्तरित कर दिया तो प्रार्थीया को अपूर्तनी हानि होगी। इसलिए विपक्षी सं.1 से 9 तक को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है।

यह कि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो विपक्षीगण भूमि को हस्तान्तरित कर देगें जिससे प्रार्थीया को अपूर्तनीय हानि होगी। इसके विपरीत विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षीगण को किसी प्रकार की हानि होने वाली नहीं है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र वर्णित एवं नामान्तरण संख्या 747 व 748 वर्णित कृषि आराजीयात व आराजी नं0 399, 400, 403, 404 का विपक्षी सं. 6 को किसी को भी रहन दान विक्रय आदि से हस्तान्तरित नहीं करें। साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा ने एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा ने अपना अधिकार पत्र मूलवाद मे प्रस्तुत किया।

पत्रावली में विपक्षी संख्या 2 से लगायत 7 व 9 की ओर से जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि प्रार्थीया द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है, प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त शीर्षक के तहत जो वादपत्र प्रस्तुत किया है वह कानूनन ही चलने योग्य नहीं है तथा वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थीया का वादपत्र व प्रार्थना पत्र निश्चित ही खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजीयात ग्राम गुलाना में स्थित होना तो स्वीकार है लेकिन यह सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रार्थीया की पैतृक सम्पत्ति नहीं है। राजस्व रिकोर्ड में हुई त्रुटि एवं गडबडी के कारण प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात में से खसरा नम्बर 33, 109, 125, 128, 148, 189, 247, 249, 250, 281, 373, से 484, 665, 666, 742/364, 743/365, 744/666 की आराजीयात के सेटलमेंट पूर्व केसुलाल पिता कालु जी ब्राम्हण निवासी गुलाना के नाम पर अंकित भूमि रही है।

अतः माननीय न्यायालय श्रीमान आपसे अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को सव्यय निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। शेष विपक्षीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात उभयपक्ष की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसार निवेदन करते हुए कहा कि वर्णित आराजीयात पैत्रिक सम्पति है जो नामान्तरण संख्या 92, 93, 94 से स्पष्ट है। प्रार्थीया के हिस्से का किसी भी प्रकार का सैलडीड नहीं है। न ही रहन दान आदि है, जवाब में प्रोपर्टी का खंडन नहीं किया है। विरासत से पुत्र हकदार है तो बेटी क्यो नहीं? सम्पूर्ण सम्पत्ति पैत्रिक बताई गई है, प्रार्थीया उत्तराधिकारी है जिसके हक सम्पत्ति में निहित है। वर्णित पैत्रिक सम्पत्ति को विक्रय करने का देउबाई को कोई अधिकार नहीं है ना ही कोई उनको किसी प्रकार की शक्तिया प्राप्त है। दोराने बहस अधिवक्ता द्वारा न्यायिक उद्रण प्रस्तुत किये है।

बहस में अधिवकता विपक्षीगण द्वारा निवेदन किया गया कि चार भाई थे छोगा, कालू कल्याण व मथुरा मूल दावे में प्रार्थना पत्र अंकित नहीं है, वर्णित सम्पत्ति पैत्रिक सम्पत्ति नहीं है, स्पष्ट अंकन नहीं है। देउबाई ने शोभालाल को सेल की है जो विपक्षी संख्या 6 है। 39 साल तक कोई विक्रय नहीं प्रार्थीया व्यस्क होते ही न्यायालय में दावा लेकर आई है जबकि मामला सिविल कोर्ट का है। प्रार्थना पत्र खारिज योगय है। प्रार्थीया ने खोले गये नामान्तरण को चुनौती नहीं दी है। न्यायिक उद्रण प्रस्तुत किये गये है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

उभयपक्ष की बहस सुने जाने एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन तथा न्यायिक उदरण का गहन अवलोकन किया प्रार्थना पत्र निस्तारण के लिए मुख्य तीन बिन्दुओं पर निर्णय किया जाना होता है जो निम्न प्रकार से किया जाता है–

1– प्रथम दृष्टया मामला –

नकल जमाबंदी मौजा गुलाना की संवत2020 में अंकित आराजी संख्या 11, 33, 70, 109, 125, 128, 148, 150, 154, 171, 189, 247, 249, 250, 281, 373, 383, 385, 386, 387, 388, 394, 395, 396, 398, 408, 409, 411, 484, 665, 666, 742/364, 743/365, 744/366, 745/409,746/281 कीता–36 कुल रकबा 100बीघा 07 बिस्वा भूमि के खातेदार केशुलाल पिता कालू 1/4, छोगा कल्याण पिता गोकल 1/2, सोहन पिता मथुरा 1/4 ब्राम्हण सहखातेदार के नाम पर दर्ज अंकित है। नकल जमाबंदी खाता संख्या 46 में अंकित आराजी संख्या 399, 400, 403,404 कीता–4 रकबा 5बीघा 07 बिस्वा भूमि के खातेदार छोगा पिता गोकल केसा पिता कालू ब्राम्हण सा.देह खातेदार दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 111 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जो कि विरासत से खोला गया है, यह नामान्तरण कल्याण के फोत होने पर खोला गया है, नामान्तरण मे अंकित पटवारी रिपोर्ट अनुसार कल्याण ने अपनी वसीयत शभुलाल के नाम पर की थी जिससे यह नामान्तरण जो वर्णित आराजी का खोला गया वह श्री केशु पिता कालू 1/4, देउबाई पति छोगा प्रेमबाई पति शभुलाल 1/2सोहन पिता मथुरा 1/4 के पक्ष में खोला गया है। इन्तकाल पर पटवारी रिपोर्ट मे अंकित है कि आशा कुमारी एक मात्र पुत्री शंभुलाल की है। पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 747 जो कि दानविलेख से खोला गया है, तथा नामान्तरण संख्या 748 जो कि हकत्याग से खोला गया है का भी गहन अवलोकन किया गया, दान विलेख व हकत्याग दोनो ही पंजीकृत खत होकर उक्त नामान्तरण खोले गये है। नामान्तरण संख्या 181 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया यह नामान्तरण विक्रय से खोला गया है विक्रय खोदार अशाकुमारी पिता शभुलाल ना0बा0 संरक्षरक माता प्रेमबाई बेवाव शभुलाल द्वारा गीतादेवी पति कैलाशचन्द्र ब्राम्हण को हिस्स 1/4 विक्रय किया जिससे इस नामान्तरण की प्रविष्ठी मे श्री गीतादेवी पति कैलाश चन्द्र ब्राम्हण 1/4, केशुलाल पिता कालू 1/4, देउबाई बेवा छोगा 1/4, सोहनलाल पिता मथुरालाल 1/4 का अंकन किया हुआ है। आराजी संख्या 109, 247, 373, 742/354, 743/365, 744/666 के खतोदार श्री गोपीलाल हीरालाल मनोहरलाल कैलाशचंद्र शोभालाल सत्यनारायण पिता केशुलाल मु0.कंचनबाई बेवा केशूललाल 1/4, लाडबाई पुत्री छोगा पत्नि रामगोपाल सा. देह हा.मु. बीकण तह. माण्डलगढ 1/4, गीतादेवी पति कैलाशचंद्र 1/4, काशीराम भैरूलाल रामगंवरबाई पिता सोहनलाल 1/4 ब्राम्हण के नाम से दर्ज है। मोजा गुलाना की आराजी संख्या 399, 400, 403, 404 कीता–4 रकबा 0.866 हैक्टर भूमि मु0 देउ बेवा छोगा केशा पिता कालु ब्राम्हण के नाम पर दर्ज अंकित है।

इस प्रकार पत्रावली में अन्य जमाबंदीयात का भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में तथ्य स्पष्ट अंकित नहीं किए है, प्रार्थीया द्वारा अपने हम हिस्से की भूमि का विक्रय किया है, साथ ही जो पंजीकृत दान विलेख व हकत्याग किये गये है उनसे खोले गये नामान्तरण को प्रार्थीया ने कोई चलेन्ज नहीं किया ना ही पंजीकृत विलेख के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में ही कोई प्रकरण दायर किया है। प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये वंशवृक्ष में वर्णित आराजी को गोकल व उनके पुत्र छोगा व कल्याण का होना दर्शाया गया है जबकि वर्णित आराजी के सहखातेदार केशूलाल पिता कालू 1/4, छोगा कल्याण 1/2 व सोहन पिता मथुरा 1/4 दर्ज थे।

उपरोक्त अंकित सभी दस्तोवज के गहन अवलोकन से वर्णित कृषि आराजीयात की स्थिती इस प्रकार है कि मिसल बन्दोबस्त संवत 2028 जो कि खातेदार केशुलाल पिता कालू 1/4, छोगा कल्याण पिता गोकल 1/2, सोहनलाल पिता मथरा 1/4 के नाम कुल कीता 36 रकबा 100 07 बिस्वा भूमि थी जिसमें प्रार्थीया आशाबाई का हिस्स 1/8 व विपक्षी संख्या 1 लाडबाई 1/8 है, साथ ही मिसल बन्दोबस्त संवत 2028 जिसमें खातेदार छोगा पिता गोकल केसा पिता कालू ब्राम्हण सा0देह के नाम दर्ज आराजी संख्या 3969, 400, 403, 404 कीता–4 रकबा 5बीघा 07 बिस्वा में प्रार्थीया अशाबाई 1/4 हिस्सा व विपक्षी संख्या 1/4 हिस्सा होता है। जहाँ तक नामान्तरण संख्या 93 का प्रश्न है यह नामान्तरण छोगा की विरासत से देउबाई पत्नी छोगा के नाम पर किता 33 रकबा 90बीघा 18 बिस्वा भूमि के लिए खोला गया तथा नामान्तरण संख्यसा 94 छोगा की विरासत से देउबाई पत्नी छोगालाल के नाम आराजी संख्या 399, 400, 403, 404 कीता–4 रकबा 0.866 हैक्टर भूमि का खोला गया। नामान्तरण संख्या 111 जो कि कल्याण की विरासत से वसीयत शंभूलाल जो कि फोत हुए उनकी पुत्री आशाकुमारी स0प0 प्रेमबाई के नाम खुला कुल कीता–32 रकबा 89बीघा 2बिस्वा का खोला गया। जिसमें विक्रय से नामान्तरण संख्या 181 खोला गया वह गीतादेवी पति कैलाशचन्द्र ब्राम्हण के नाम हिस्सा 1/4 से कीता–32 कुल रकबा 89बीघा 2बिस्वा का खोला गया। नामान्तरण संख्या 747 जो कि दानविलेख से देउबाई बेवा छोगा 1/4 के पुत्री को किया लाडबाई पुत्री छोगा हिस्सा 1/4 आराजी संख्या 1096, 247, 373, 742/364, 743/365, 744/660 कीता–6 रकबा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

हैक्टर का तथा नामान्तरण संख्या 748 जो कि हकत्याग से देउबाई पति छोगा हिस्स 1/4 ने शंभुलाल के वारिसान को किया है जो कि कुल कीता–20 रकबा 6.435 हैक्टर भूमि का है। वर्तमान मे देउबाई का नाम जमाबंदी मे अंकित नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तथ्यों का स्पष्ट करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उदरण आर. आर. टी. 2015 पेज 475 से 483 का अवलोकन किया गया जो दान विलेख, हकत्याग व विक्रय पंजीकृत किये गये है वह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती से पूर्व के है, जिन्हें सिविल न्यायालय में चेलेन्ज किये बिना वोइडेबल नहीं माने जा सकते है इस प्रकार यह न्यायिक उदरण इस प्रकरण में मान्य नहीं है, साथ ही न्यायिक उदरण आर. आर. टी. 2018 पेज 535 से 541, एवं आर.आर.टी. 2024 पेज 625 से 631 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जो इस प्रकरण में चस्पा नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध नहीं होता है।

2– सुविधा का संतुलनः–

प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 से 9 तक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना चाहती है कि विपक्षी संख्या 1 पंजीकृत दान विलेख व विपक्षी सं0 2 से 8 पंजीकृत अवैध हकत्याग विलेख तथा विपक्षी संख्या 6 अवैध विक्रय के आधार पर वर्णित आराजीयात को रहन दान विक्रय आदि नहीं करें लेकिन जैसा कि प्रथम दृष्टया मामले के निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि पंजीकृत दस्तावेज को प्रार्थीया द्वारा किसी सिविल न्यायालय में चेलेन्ज किया है या नहीं इस प्रकार की जानकारी प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं दी है, प्रार्थीया द्वारा पंजीकृत विलेख का अवैध होना अंकित किया है किन्तु उक्त पंजीकृत दस्तावेज को अवैध सिद्ध करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। साथ ही विपक्षीगण वर्णित कृषि आराजीयात के खातेदार है जिन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायसंगत नहीं होता है। जॅहा तक प्रश्नगत पैत्रिक कृषि भूमि के लिए प्रार्थीया जो अपने प्रार्थना पत्र में कथन करके न्यायालय में आई है तो उन्हे उनके पिता शंभुलाल को कल्याण के द्वारा की गई वसीयत से भूमि प्राप्त हुई है जिसमें से उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय भी किया है। जैसा कि दस्तावेज से सिद्ध हो रहा है कि वसीयत की भूमि में प्रार्थीया को कल्याण का हिस्सा प्राप्त हुआ है तो अब पैत्रिक कृषि भूमि मे से कौन सा हक प्रार्थीया प्राप्त करना चाहती है यह तथ्य स्पष्ट नहीं किये गये है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

3– आर्थिक क्षतिः–

जैसा कि प्रार्थना पत्र पत्रावली मे प्रस्तुत सभी जमाबंदी व अन्य नामान्तरण आदि के अवलोकन से पाया जाता है कि विपक्षीगण भूमि के खातेदार अंकित है, प्रार्थीया के पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध नहीं हुआ है ना ही सुविधा का संतुलन ही प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध हुआ है यदि विपक्षीगण जो कि वर्णित कृषि भूमि में खातेदार है को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो निश्चित ही उन्हें आर्थिक क्षति होती है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थीया अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रही है।

इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीया प्रार्थना पत्र के निस्तारण के तीनो ही मुख्य बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व आर्थिक क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में सिद्ध कराने में असफल रही है। जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी सबूत से सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.01.2026 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं